रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23092021-229895
CG-DL-E-23092021-229895

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3611] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 23, 2021/आश्विन 1, 1943
No. 3611] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 23, 2021/ASVINA 1, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2021

सं. 28/2015–2020

विषय : विनिर्दिष्ट अग्रिम और ईपीसीजी प्राधिकार पत्रों की निर्यात दायित्व अवधि को दिनांक 31.12.2021 तक बढ़ाने के संबंध में।

का.आ. 3945(अ).—समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2015–2020 के पैरा 1.02 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक 2015–20 में निम्नलिखित संशोधन करती है:

2. प्रक्रिया पुस्तक के उप पैरा 4.42 (झ) के बाद निम्नलिखित उप–पैरा जोड़ा जाता है:

"4.42(ञ) :

क. अग्रिम प्राधिकार पत्रों, जहां मूल अथवा विस्तारित निर्यात दायित्व (ईओ) अवधि दिनांक 01.08.2020 और 31.07.2021 की अवधि के बीच समाप्त हो रही है, हेतु निर्यात दायित्व अवधि बिना किसी संयोजन शुल्क के दिनांक 31.12.2021 तक आगे बढाई जाएगी। तथापि यह बढ़ाई गई अवधि मूल/विस्तारित निर्यात दायित्व अवधि की समाप्ति की तिथि पर शेष निर्यात दायित्व पर मूल्य के रूप में (मुक्त विदेशी मुद्रा में) 5 प्रतिशत अतिरिक्त निर्यात दायित्व लेने के अधीन है।

ख. इस पैरा (4.42(घ), (ड.), (च)) के अंतर्गत संयोजन शुल्क के भुगतान के साथ निर्यात दायित्व की अवधि को आगे बढ़ाने का लाभ लेने का विकल्प इन प्राधिकार–पत्रों हेतु पात्रता के अनुसार उपलब्ध रहेगा।

ग. ऐसे मामलों में, जहां अग्रिम प्राधिकार–पत्र धारक ने संयोजन शुल्क का भुगतान कर पहले ही निर्यात दायित्व अवधि को आगे बढ़वा लिया है, वहां संयोजन शुल्क का रिफंड अनुमत नहीं होगा।

3. प्रक्रिया पुस्तक के उप पैरा 5.17(ड.) के बाद निम्नलिखित उप–पैरा जोड़ा जाता है:

"5.17(च.) :

क. ईपीसीजी प्राधिकार पत्रों हेतु, जहां मूल अथवा विस्तारित निर्यात दायित्व (ईओ) अवधि दिनांक 01.08.2020 और 31.07.2021 की अवधि के बीच समाप्त हो रही है, निर्यात दायित्व अवधि बिना किसी संयोजन शुल्क के दिनांक 31.12.2021 तक आगे बढाई जाएगी। तथापि यह बढ़ाई गई अवधि मूल/विस्तारित निर्यात दायित्व अवधि की समाप्ति की तिथि पर शेष निर्यात दायित्व पर मूल्य के रूप में (मुक्त विदेशी मुद्रा में) 5 प्रतिशत अतिरिक्त निर्यात दायित्व लेने के अधीन है।

ख. इस पैरा (5.17(ग)) के अंतर्गत संयोजन शुल्क के भुगतान के साथ निर्यात दायित्व की अवधि को आगे बढ़ाने का लाभ लेने का विकल्प इन प्राधिकार–पत्रों हेतु पात्रता के अनुसार उपलब्ध रहेगा।

ग. ऐसे मामलों में, जहां ईपीसीजी प्राधिकार–पत्र धारक ने संयोजन शुल्क का भुगतान कर पहले ही निर्यात दायित्व अवधि को आगे बढ़वा लिया है, वहां संयोजन शुल्क का रिफंड अनुमत नहीं होगा।

4. सीमा शुल्क प्राधिकारी तद्नुसार निर्यात की अनुमति देंगे और उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार निर्यात दायित्व पूर्ति विवरण ईओडीसी/समापन/नियमितीकरण के समय क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा जांचे/सत्यापित किए जाएंगे। प्राधिकार पत्र धारकों को इसका लाभ उठाने के लिए क्षेत्रीय प्राधिकारी से संपर्क करने या कोई आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

<u>इस अधिसूचना का प्रभाव</u>: विनिर्दिष्ट अग्रिम प्राधिकार–पत्रों और ईपीसीजी प्राधिकार–पत्रों के मामले में निर्यात दायित्व अवधि को दिनांक 31.12.2021 तक बढ़ाने का लाभ उठाने हेतु अन्य विकल्प पूर्ति किए जाने वाले शेष निर्यातों पर 5 प्रतिशत अतिरिक्त निर्यात दायित्व के अधीन किसी भी संयोजन शुल्क के बिना प्रदान किया जाएगा। यह विदेश व्यापार नीति/प्रक्रिया पुस्तक में पहले से प्रदान की गई निर्यात दायित्व विस्तार सुविधा (संयोजन शुल्क के भुगतान पर) के अतिरिक्त है।

[फा. सं. 01/94/180/501/एएम20/पीसी–4]

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं

पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September 2021

No. 28/2015-2020

Subject : Extension in the Export Obligation period of specified Advance & EPCG Authorisations till 31.12.2021 reg.

S.O. 3945(E).—In exercise of powers conferred by Section 5 of FT(D&R) Act, 1992, read with Paragraph 1.02 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, as amended from time to time, the Central Government hereby makes following amendments in the Hand Book of the procedure 2015-20.

2. The following sub-para is added after Subpara 4.42(i) of HBP :

"4.42 (j):

a. For Advance Authorisations, where original or extended Export Obligation (EO) period is expiring during the period between 01.08.2020 and 31.07.2021, the Export Obligation period would be extended till 31.12.2021 without any composition fees. However this extension is subject to 5% additional export obligation in value terms (in free Foreign Exchange) on the balance Export Obligation on the date of expiry of the original/extended export obligation period.

b. The option to avail EO extensions with payment of composition fees under this para (4.42 (d),(e),(f)) would remain available for these authorizations as per eligibility.

c. In cases where Advance Authorisation Holder has already obtained EO extension upon the payment of composition fee, the refund of the composition fee will not be permitted.

3. The following Sub para is added after Subpara para 5.17 (e) of HBP :

"5.17 (f):

a. For EPCG Authorisations, where original or extended Export Obligation (EO) period is expiring during the period between 01.08.2020 and 31.07.2021, the Export Obligation period would be extended till 31.12.2021 without any composition Fees. However this extension is subject to 5% additional export obligation in value terms (in free Foreign Exchange) on the balance Export Obligation on the date of expiry of the original/extended export obligation period.

b. The option to avail EO extensions with payment of composition fees under this para (5.17(c)) would remain available for these authorisations as per eligibility.

c. In cases where EPCG Authorisation Holder has already obtained EO extension upon the payment of composition fee, the refund of the composition fee will not be permitted.

4. Customs authorities shall allow export accordingly and EO fulfillment details as per above provisions will be checked/verified by the RA at the time of EODC/Closure/Regularisation. Authorisation Holders need not approach RA or make any application to avail this benefit.

Effect of the Notification: Another option to avail extension in Export Obligation period till 31.12.2021 in case of specified Advance Authorisations and EPCG Authorisations is provided without any composition fees subject to 5% additional export obligation on balance exports to be fulfilled..This is in addition to EO extensions facility (upon payment of the composition fees) already provided in FTP/HBP.

[F. No. 01/94/180/501/AM20/PC-4)

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade,

Ex-officio Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.09.23 19:56:09 +05'30'